Helpline 1064 4135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- **श्रीगंगानगर में आरोपी ममता, राजस्व पटवारी, पटवार हल्का लोंगवाला, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ को 5,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार।**

जयपुर, दिनांक 17 दिसम्बर, बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी श्रीगंगानगर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **राजस्व पटवारी, पटवार हल्का लोंगवाला, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ** को परिवादी से उसकी माता के नाम चक 3 एल.जी.डब्ल्यू. तथा चक 1 पी.बी.एन. की भूमि के इंतकाल दर्ज करने की एवज में 5,000/–रूपये बतौर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि एसीबी चौकी श्रीगंगानगर को परिवादी की एक शिकायत इस आशय की मिली कि उसकी माता जी के नाम चक 3 एल.जी.डब्ल्यू. तथा चक 1 पी.बी.एन. की जरिये वैयनामा क्रय की गई भूमि का इंतकाल दर्ज करने की एवज में आरोपिया ममता ने 20,000/– रूपये रिश्वत की मांग की तथा परिवादी से 5,000/–रूपये रिश्वत के पूर्व में ले लिये, अब शेष 15,000/– रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रही है।

जिस पर एसीबी बीकानेर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री भुवन भूषण यादव** के सुपरविजन में एसीबी श्रीगंगानगर के **अति. पुलिस अधीक्षक श्री पवन कुमार मीणा** के नेतृत्व में आज **पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार** एवं ब्यूरो स्टाफ ने ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपिया ममता राजस्व पटवारी, पटवार हल्का लोंगवाला, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ को परिवादी से 5,000/–रूपये बतौर रिश्वत रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपिया से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।